

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-06/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० सपना कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, किशनगंज द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.10.2024 से 29.03.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों के उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक- 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-06/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक 10/02/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव० इ०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज/अधीक्षक, सदर अस्पताल, किशनगंज/कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/डा० सपना कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।